<u>प्रकरण संख्या 90/2024 चन्द्रकान्त व अन्य बनाम पुरूषोत्तम व अन्य</u>

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 17.04.2025 | प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम नागदा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित अनुसूची ''अ'', ''ब'', ''स'' की भूमियां स्थित हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण के मूल पुरूष स्वर्गीय चम्पालाल जी होकर उनका सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। प्रतिवादी संख्या 1 का वादग्रस्त आराजियात में 1/9 हिस्सा निहित है। वादी संख्या 1 से 3 तथा प्रतिवादी संख्या 11 व 12 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र व पुत्री होने से उनका भी विवादित आराजियात में 1/54, 1/54 हिस्सा है तथा इसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने दो शादिया की। पहली शादी वादीगण की माता श्रीमती मीराबाई से की, जिसके नुत्फे से वादीगण हुए तथा दूसरी शादी रूकमणी से की, जिसके नुत्फे से प्रतिवादी संख्या 11 व 12 हुए। वादीगण की माता का देहावसान वर्ष 2022 में हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 1 अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता है व वादीगण से बेरूखी व्यवहार रखते हुए दूसरी पत्नी के बहकावे में आकर वादीगण को सम्पत्ति से वंचित करना चाहता है तथा बेदखल करने पर आमादा है। अतः वादीगण को विवादित आराजियात के 1/54, 1/54 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 12 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।<br><br>प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उनके पिता से जरिये वसीयत प्राप्त हुई है, जिससे उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति है, जिससे वादीगण को उक्त भूमि में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उक्त भूमि बाबत पूर्व में हक वाद मनीष कुमार बनाम पुरूषोत्तम सहायक | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:19:17 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर फास्ट ट्रेक गिर्वा में चला था, जिसके प्रकरण संख्या 241/13 होकर दिनांक 21.07.2015 को वादीगण का वाद निरस्त किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में अपील संख्या 15/2018 प्रस्तुत हुई जो दिनांक 21.11.2022 को नोट प्रेस में खारिज हो चुकी है और पूर्व आदेश प्रभावी रहा है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त सम्पत्ति पैत्रृक नहीं होकर प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति है। वादीगण का उक्त सम्पत्ति में कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः वाद पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 15.07.2024 को निर्णय पारित करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद साबित नहीं पाये जाने से खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल पालीवाल उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता हिमांशू सोलंकी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से विवादित भूमि पैत्रृक होना साबित है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति मानकर वाद खारिज करने में भारी भूल की है। आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते समय मात्र वाद के अभिवचनों को देखना होता है, वाद के अभिवचनों से विवादित भूमि पैत्रृक होना स्पष्ट है, जिससे विवादित भूमि में अपीलान्टगण प्रत्येक का 1/54, 1/54 हिस्सा जन्म से ही निहित है। वसीयत के आधार पर उक्त सम्पत्ति को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं मानी जा सकती। वसीयत में इस सम्पत्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:19:17 IST
Reason: SelfAttested

का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे उक्त सम्पत्ति को स्वअर्जित नहीं माना जा सकता। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

उक्त बहस के खण्डन में अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि उक्त भूमि बाबत पूर्व में साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित हो चुका है जो आज भी प्रभाव में है। उक्त निर्णय से स्पष्ट है कि विवादित भूमि चम्पालाल जी की स्वअर्जित होने से उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में वसीयत की गयी है, जिससे उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति मानी जायेगी। उसी भूमि बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र व पुत्री वाद लेकर आये हैं, जो चलने योग्य नहीं है तथा उनके द्वारा वसीयत को निरस्त कराने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। स्वयं अपीलान्ट/वादीगण अपने वाद में उक्त भूमि चम्पालाल जी के समय से चली आने से उसे मौरूसी भूमि बताया है, जबकि चम्पालाल जी ने उक्त आराजियात की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 11.06.2001 को अपने पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 पुरूषोत्तम व नरेन्द्र कुमार के पक्ष में की जाना स्पष्ट है। उक्त वसीयतनामे पर साक्ष्य अधिवक्ता सुरेश पुरी गोस्वामी ने दी है, जिन्होंने चम्पालाल के अन्य पुत्र जमनालाल के वारिसान मनीष व पुष्पादेवी द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 241/13 में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त वसीयत को सही होना व अपने सामने टाईप होना बताया है। उक्त वाद सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा द्वारा 21.02.2015 को साक्ष्यों के आधार पर खारिज किया है तथा उक्त भूमि को चम्पालाल की स्वअर्जित होने से उनके द्वारा अपने दो पुत्रों के पक्ष में की गयी रजिस्टर्ड वसीयत को विधि सम्मत माना है तथा उक्त रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित माना है। [illegible] के वारिसान नया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:19:17 IST
Reason: SelfAttested

वाद लेकर आये हैं, जबकि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा द्वारा दिनांक 21.02.2015 को पारित निर्णय की अपील न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21.11.2022 को नोट प्रेस पर खारिज की जा चुकी है, जिसकी आगे कोई अपील नहीं होने से सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा का निर्णय व डिक्री 21.02.2015 आज भी प्रभावी है। हालांकि उक्त प्रकरण में अपीलान्टगण पक्षकार नहीं थे, किन्तु उक्त वाद में विवादित भूमि की वसीयत को सही माना गया है एवं अपीलान्ट/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत वाद भी उन्हीं सम्पत्ति बाबत् तथा उन्हीं आधारों पर प्रस्तुत किया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति मानते हुए अपीलाधीन निर्णय से अपीलान्टगण का वाद खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 15–07–2024 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 17–04–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

**(कीर्ति राठौड़)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:19:17 IST
Reason: SelfAttested